

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

श्रीराम V/S कर्की देवी

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	8/12-2021	<p>पडावली पेश। वकील डा. जी उपस्थित। अडालीगठ की रजिस्ट्रि तमिल पेश की गई, शामिल मि. सुल की गई। वास्तु तमिल आदेश पडावली किनांक /वर्ष 28-12-2021 का पेश है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>
	28-12-2021	<p>पडावली पेश। वकील डा. जी उपस्थित। P.O साहब कोर्ट पर पधार है। गत आदेश की पालना में पडावली किनांक 11-1-2022 का पेश है।</p> <p style="text-align: right;">श्रीराम प्रस्तुतकार उप-खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>
	11-1-2022	<p>पडावली पेश। वकील डा. जी उपस्थित। अडालीगठ की तमिल नो रजिस्ट्रि सम्मर्त से डाक द्वारा करवाई गई है। रजिस्ट्रि तलबी का फरवार 1 माह से अधिक का समय ही चुका है। रजिस्ट्रि तमिल की अवधारणा की जाती है। अडालीगठ का गाट-गाट आवाज लगवाई गई, इनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः अडालीगठ के सिविल एकापक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तद्वत् आठपत्र सुनिगरी। पडावली में डा. जी द्वारा पेश रुखावेजात व मौखिक साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होता है। और ना ही सुविधा का संतुलन तथा अकारण ही डा. जी के पक्ष में</p>



फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर, (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर, (जयपुर)

श्रीगोपाल बनाम

बकी देवी कौर

86/2021

प्राचीन पत्र 20


वर्ष

आज्ञा
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

बनती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभी के पक्ष में उक्त दृष्ट्या मामला, सुविधा का समुचित व अपूरणीय कति साबित नहीं होय से डाउनड अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। फावेल फेसल शुमा एका कारखाने कपल रहे, जवत से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)